कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश चावल के मामले में अधिशेष राज्य है और उन्होंने चावल के आवंटन के लिए कोई भी अनुरोध नहीं किया है। यह राज्य गेहूं के मामले में भी अंशत: अधिशेष राज्य है: आवंटन को बढ़ा कर 25,000 मीटरी टन तक करने सम्बन्धी राज्य सरकार के अनुरोध के प्रति केन्द्रीय भण्डार से अक्तूबर, 1974 के लिए 7,000 मीटरी टन गेहूं और नवम्बर, 1974 के लिए 12,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया था।

Loss due to devastation of floods in West Bengal

76. SHRI SARADISH ROY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) total number of persons killed and loss of property due to devastating floods in West Bengal this year; and

(b) remedial steps taken by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH): (a) According to the reports received so far from the State Government of West Bengal, the loss of life and property caused by the floods of 1974 was as follows:

Loss of human life—33

Loss of Crops—Rs. 2626 lakhs

Damage to houses—Rs. 15.23 lakhs

Damage to public utilities—Rs. 41.35 lakhs.

(b) Flood protection measures have been implemented by the State Government for reducing the damage caused by the floods. The progress made since 1954 up to the end of Fourth Plan is as follows:

Length of embankments constructed—280 km.

Drainage channels constructed—449 km.

Town protection Schemes completed—27.

These have been implemented with an outlay of Rs. 33.66 crores and have benefited about 6.8 lakh of flood prone area.

Flood protection measures are being continued during the Fifth Plan and a provision of Rs. 47.75 crores has been tentatively proposed for the purpose.

A Flood Forecasting Unit, set up by the Centre, has been functioning at Jalpaiguri since 1969 for forecasting of floods on the Teesta. These forecasts are used by the district authorities to alert the people likely to be affected by the floods and also in arranging rescue and relief operations.

प्राचीन पाण्डुलिपियां प्राप्त करने में राष्ट्रीय अभिलेखागार की असफलता

77. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार (एक) अफ्रीका में लिया गया गांधीजी का अंगूठा-चिह्न (दो) औरंजेब द्वारा लिखा गया कुरानशरीफ और (तीन) बहादुरशाहजफर को सजा दिए जाने सम्बन्धी ले० क० डैवीज का हुक्मनामा प्राप्त करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). समाचार पत्र की रिपोर्टों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में कदी के रूप में महात्मा गाधी की अंगुलि-स्केप के चिह्न, दिल्ली अभिलेखागार को बिक्री के लिए पेश किए गए थे। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था और न हीं उसके नोटिस में लाया गया था।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार मुख्यत: भारतीय इतिहास के आधुनिक काल के दस्तावेजों से सम्बन्धित हैं और यह प्रश्न में उल्लिखित प्रकार की धार्मिक पांडुलिपियों को साधारणतया प्राप्त नहीं करता है।

बहादुर शाह जफर के मुकदमें से सम्बन्धित न्यायालय की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध है।

दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कार्य

78. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री 29 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 864 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके निर्माण पर कितना व्यय किया गया है और उसके लिए कितने व्यय का अनुमान था; और

(ग) यदि निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं और यह कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) शुरू में दिये गये ठेके को समाप्त करने, ठेकेदार द्वारा रोक आदेश लाने तथा सीमेण्ट और इस्पात की कमी के कारण इस निर्माण कार्य में देरी हुई है।

प्रस्थान खण्ड, दुकान समूह अन्तर्गमन तथा बहिर्गमन द्वारमण्डप, स्थानीय बस अड्डा तथा पैदल पार-पुल पूर्ण हो चुके हैं। लिंक ब्लाक की जनवरी, 1975 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। सम्पूर्ण कार्य के मार्च, 1975 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

Amendment of Delhi University Act

79. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL:
SHRI R. S. PANDEY:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Vice-Chancellor of Delhi University has urged upon the Government to amend the Delhi University Act; and

(b) if so, the decision of Government thereon?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): (a) Yes, Sir.